

## अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन)/ 18, दिनांक : 29 अक्टूबर: -2018,

--: आदेश ::-

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक-2253/18 दिनांक 24.10.2018 द्वारा दिनांक 12.11.18 से 17.11.18 तक के लिए सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम व पीठ-द्वितीय, गाजियाबाद के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम व पीठ-2 गाजियाबाद की खंड पीठ गठित की गयी थी।

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-प्रथम गाजियाबाद की दिनांक 12.11.18 से 16.11.18 तक जे0टी0आर0आई0लखनऊ में ट्रेनिंग का कार्यक्रम प्राप्त होने के कारण उक्त गठित खंड पीठ में आंशिक संशोधन करते हुए " सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम गाजियाबाद " के स्थान पर "सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-बरेली को उक्त अवधि की खंड पीठ हेतु नामित किया जाता है। खंड पीठ की शेष स्थिति यथावत् रहेगी।

सम्बन्धित अधिकारियों को तदनुसार सूचित किया जाये।

ह0-29.10.18

( प्रेम कला सिंह )

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0/2263/2018, तददिनांकित  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, गाजियाबाद पीठ-प्रथम, गाजियाबाद।
- 2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-बरेली।
- 3-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 5-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,



निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।